



दिल्ली विकास प्राधिकरण



सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन-‘एफ’ की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन:

जहाँपनाह नगर वन, जोन-‘एफ’ में धार्मिक उद्देश्य के लिए 400 वर्ग मीटर भूमि का भूमि उपयोग ‘मनोरंजनात्मक’ से ‘सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक’ में निम्नलिखित विवरण सहित परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित किया गया है:-

| अवस्थिति | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | दिल्ली मुख्य योजना-2021 एवं क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग | जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है | सीमाएँ |
|--|------------------------------|--|---|---|
| जोन-एफ: जहाँपनाह नगर वन, गुरु रविदास मार्ग स्थित भूमि | 400.00 | मनोरंजनात्मक | सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक (पी एस-1: धार्मिक) | उत्तर: जिला पार्क दक्षिण: जिला पार्क पूर्व: जिला पार्क, गुरु रविदास मार्ग पश्चिम: जिला पार्क |

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

फाइल सं. एफ.20(5)/2020-एमपी

दिनांक: 13.11.2020

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./-
(डी.सरकार)

आयुक्त एवं सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

“कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें या 39898911 डायल करें”